

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।**आदेश-पत्रक**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0- 11.12.2024 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं0- 27 / 2024-25

केश का प्रकार- विविध वाद

भिखन करमाली

हीरामन करमाली एवं अन्य

आदेश क्रम संख्या
और तारीख**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**आदेश पर की गयी कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी तारीख
सहित

11/12/2024

आवेदक- भिखन करमाली, पिता-स्वर्गीय मोहन करमाली, सा0- बड़की सिधावारा, पो0+थाना- चतरोचट्टी, जिला- बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा- बड़की सिधावारा अंतर्गत खाता सं0- 1, प्लॉट सं0- 593, रकवा- 0.24 एकड़ भूमि उनके बैजनाथ करमाली, जगरनाथ करमाली, भीखन करमाली तीनों पिता-स्व0 मोहन करमाली का रैयती भूमि है। उपरोक्त तीनों भाई आपस में बंटवारा कर अपने दखल-कब्जा वाली जमीन पर घर मकान बनाकर रह रहे हैं। मकान बनाने के बाद रकवा-2.25 डी0 भूमि परती छोड़ा गया था जिसमें इनके घर का पानी बहता है और उसमें जोत कोड़कर साग सब्जी का उपज करते थे। विगत दिनों से 1. हीरामन करमाली, पिता-स्व0 किटु करमाली, 2. परमेश्वर करमाली, पिता-स्व0 तुलवा करमाली, 3. भुनेश्वर करमाली, पिता-स्व0 तुलवा करमाली, 4. रामचन्द्र करमाली, पिता-लिलवा करमाली, 5. रेखा देवी, पति-लुरका करमाली, 6. काजल कुमारी, पिता-किटु करमाली सभी सा0- बड़की सिधावारा, पो0+थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा इनके हिस्से की परती जमीन रकवा-2.25 डी0 पर जबरन कब्जा करने लगे हैं। इनके द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का जबरन कब्जा को रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक-27/12/2024 को रखें।

11.12.24
अंचल अधिकारी,
गोमिया।

1024
पाठ्य 24 Notice

27/12/24

उभय पक्ष के मोहिम शामिल किया गया
दोनों पक्ष की ओर से हाजिरी भी गई है
प्रथम पक्ष के द्वारा अपने प्रश्नगत भूमि
के संबंध में बताया गया कि मौजा बड़की
सीपवारा खसरा सं०-०१, प्लॉट सं०-५१३
रकबा - २४ बी० भूमि जानकारी पहले एंव नन्हा
से वर्ष १९८६ में केवाला सं०-५५०८
के द्वारा प्राप्त किया गया प्रथम पक्ष के
द्वारा एक राजस्व दस्तावेज सं०-१८१३ काफिल
किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि
मौजा बड़की सीपवारा खसरा सं०-०१
प्लॉट सं०-५१३ कुल रकबा - ७३ बी० मध्ये
१२ बी० भूमि का केवाला उतारी देवी जी
तुलो काली है। प्रथम पक्ष के द्वारा उपरोक्त
दस्तावेज के अतिरिक्त कोई अन्य राजस्व
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

द्वितीय पक्ष की ओर से निम्न
अधिवक्ता के माध्यम से राजस्व दस्तावेज
प्रस्तुत करने का स्पष्ट करने है कि
मौजा बड़की सीपवारा खसरा सं०-०१
प्लॉट सं०-५१३ कुल रकबा - १०१ बी०
दिनांक - २८/०६/१९८६ के जानकारी पूर्ण
वर्ग द्वारा तीन केवाला के माध्यम से

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	भूमि विक्रय किया गया। जिसमें प्रथम केवाला 4506 मुरसी देवी के पक्ष में 73300 भूमि, द्वितीय केवाला 4507 तुलसी मठों के पक्ष में 04300 भूमि और तीसरा केवाला 4508 गीतन काली वगैरे के पक्ष में 24800 बिघा कर दिया गया। तत्पश्चात् 14/04/88 को मुरसी देवी ने 12300 भूमि उजनी देवी के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। उक्त पक्ष के दलीलों को विस्तार रूप से सुना गया। उक्त वाद में उक्त पक्षवालों के प्रत्यक्ष केवाला के अनुसार चौकड़ी से मापी आकस्मिक प्रतीत होता है। अंचल अमीन भूमि से मापी करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे। 15 Jan 2025 तक उपलब्ध कागज़ों। अग्रिलेख दिनांक - 20/01/2025 को रखे। अंचल अमीन

1128
28/1/25 to Amin

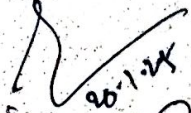
आदेश क्रम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

20/01/2025

अंचल अमीन से नू-मासी परिवेन
अप्राप्त हो आवेक अनुपस्थित। डिमीन
पक्ष व ओर से अजिब दी जारी हो।
अधीनस्थानी, अन्य कार्य के उत्तर रहने
के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका।

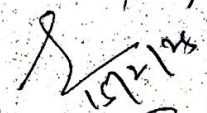
To 14/02/2025


अंचल अमीन

14/02/2025

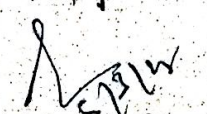
15/02/2025

अगिलेख उपस्थित। सार्वजनिक अवकाश
व्यक्ति के जाने के कारण न्यायालय कार्य
नहीं हो सका। अगिलेख दिनांक- 05/03/2025
को रहे।


अंचल अमीन

05/03/2025

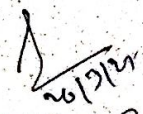
उभय पक्ष अनुपस्थित। अगिलेख
दिनांक - 26/03/2025 को रहे।


अंचल अमीन

26/03/2025

उभय पक्ष अनुपस्थित।

Put up on 25/04/2025


अंचल अमीन

19/05/2016

उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठासीन पक्ष अनुरोध
कर्ता के उत्तर है। अभिलेख दिनांक - 19/05/25
को रखें।

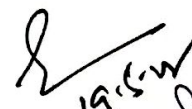

अंचल अधिकारी

19/05/2016

अभिलेख उपस्थित। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं।
अभिलेख का अवलोकन किया गया। दोनों पक्ष पिछले
तीन दिनों के लगातार सुनवाई के दौरान उच्च या
अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें आ वाद की
आगे बढ़ने में कोई अविरोध नहीं है।

अतः रूनी के अभाव में आ वाद ही अग्रणी को
समाप्त किया जाता है।
लेखापत्र एवं संशोधन।


अंचल अधिकारी
गौरीगाँव।


अंचल अधिकारी
गौरीगाँव।